



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 578]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 2014/कार्तिक 20, 1936

No. 578]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2014/KARTIKA 20, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 789(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (पांचवां संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में जेनरेटर सेट (जेन सेट) के लिए 800 कि.वा. तक के नए डीजल इंजन के लिए लागू उत्सर्जन सीमा से संबंधित क्रम संख्या 95 के,—

(क) आरंभिक पैरा में, "1 जुलाई, 2014 से उसमें अंतर्विष्ट साधारण शर्तों के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट होंगी" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट 19 कि.वा. तक की विद्युत शक्ति प्रवर्ग की बाबत 1 जनवरी, 2015 से और उक्त सारणी में यथाविनिर्दिष्ट 19 कि.वा. से अधिक 75 कि.वा. तक और 75 कि.वा. से अधिक 800 कि.वा. तक के विद्युत शक्ति प्रवर्गों की बाबत 1 जुलाई, 2014 से उसमें अंतर्विष्ट साधारण शर्तों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगी", शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ख) साधारण शर्तों के 'प्रमाणन की अपेक्षाएं', से संबंधित पैरा 2 में "1 जुलाई, 2014 को या उसके पश्चात् विक्रीत जेन सेट के लिए सीओपी, 1 जुलाई, 2015 से पुनरीक्षित उत्सर्जन सन्नियमों के अनुसार प्रभावी और प्रवृत्त होंगे", शब्दों और अंकों के स्थान पर, "1 जनवरी, 2015 को या उसके पश्चात् विक्रीत 19 कि.वा. तक की विद्युत शक्ति प्रवर्ग के और 1 जनवरी, 2014 को या उसके पश्चात् विक्रीत 19

कि.वा. से अधिक 75 कि.वा. तक और 75 कि.वा. से अधिक 800 कि.वा. तक की विद्युत शक्ति प्रवर्ग के जेनसेट के लिए सीओपी क्रमशः 1 जनवरी, 2016 और 1 जुलाई, 2015 से प्रभावी पुनरीक्षित उत्सर्जन संश्रियमों के अनुसार प्रभावी और प्रवृत्त होंगे", शब्द और अंक रखे जाएंगे"।

[फा. सं. क्यू-15017/08/2012-सीपीडब्ल्यू]

डा. राशिद हसन, सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनका अधिसूचना संख्यांक का.आ. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987, सा.का.नि. 01(अ), तारीख 1 जनवरी, 2010, सा.का.नि. 215(अ), तारीख 15 मार्च, 2011, सा.का.नि. 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011, सा.का.नि. 354(अ), तारीख 2 मई, 2011, सा.का.नि. 424(अ), तारीख 1 जून, 2011, सा.का.नि. 446(अ), तारीख 13 जून, 2011, सा.का.नि. 152(अ), तारीख 16 मार्च, 2012, सा.का.नि. 266(अ), तारीख 30 मार्च, 2012, सा.का.नि. 277(अ), तारीख 31 मार्च, 2012, सा.का.नि. 820(अ), तारीख 9 नवंबर, 2012, सा.का.नि. 176(अ), तारीख 18 मार्च, 2013, सा.का.नि. 535(अ), तारीख 7 अगस्त, 2013, सा.का.नि. 771(अ), तारीख 11 दिसंबर, 2013, सा.का.नि. 2(अ), तारीख 2 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 229(अ), तारीख 28 मार्च, 2014, सा.का.नि. 262(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 और सा.का.नि. 612(अ), तारीख 28 अगस्त, 2014 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, 11th November, 2014

G.S.R. 789(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) (Fifth Amendment) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I, in serial number 95 relating to Emission Limits for new diesel engine up to 800 kW for generator set (Genset) application,—
 - (a) in the opening paragraph, for the words, figures and letters "shall be effective from 1st July, 2014 as specified in the Table below", the words, figures and letters "shall, in respect of the power category 'upto 19 kW', as specified in column (I) of the table below, be effective from 1st January, 2015, and in respect of the power categories 'more than 19 kW upto 75 kW' and 'more than 75 kW upto 800 kW', as specified in the said Table, be effective from 1st July, 2014," shall be substituted;
 - (b) in the General Conditions, in paragraph 2 relating to 'Requirement of certification', for the words, figures and letters "sold on or after 1st July, 2014 shall be effective and in force as per revised emission norms with effect from 1st July, 2015", the words, figures and letters "of the power category 'upto 19kW' sold on or after 1st January, 2015 and of the power categories 'more than 19kW upto 75 kW' and 'more than 75 kW upto 800 kW' sold on or after 1st July, 2014 shall be effective and in force as per revised emission norms with effect from 1st January, 2016 and 1st July, 2015, respectively".

[F. No. Q-15017/08/2012-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 433 (E), dated the 18th April 1987; G.S.R. 01 (E), dated the 1st January, 2010; G.S.R. 215 (E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424 (E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446 (E), dated the 13th June, 2011; G.S.R. 152 (E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; G.S.R. 277 (E), dated the 31st March, 2012; G.S.R. 820(E), dated the 9th November, 2012; G.S.R. 176(E), dated the 18th March, 2013, G.S.R. 535(E), dated the 7th August, 2013; G.S.R. 771 (E), dated the 11th December, 2013, G.S.R. 2(E), dated the 2nd January, 2014; G.S.R. 229(E), dated the 28th March, 2014; G.S.R. 262(E) dated 31st March 2014; and G.S.R. 612(E) dated 28th August, 2014.